आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री राजपाल यादव, माननीय उपाध्यक्ष तथा
श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से

आ.अ.सं. 680/ इंदौर /2019
निर्धारण वर्ष : 2009-10

सुकुल कादिर, नीमच	बनाम	प्रधान आयकर आयुक्त, उज्जैन
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- बीपीआईपीके 8536 बी		

अपीलार्थी की ओर से	लिखित प्रतिवेदन
राजस्व की ओर से	श्री हर्षित बारी, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	03.09.2021
उद्घघोषणा तिथि	07.09.2021

आदेश

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2009-10 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान प्रधान आयकर आयुक्त, उज्जैन के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 263 के अधीन आदेश दिनांक 18.03.2019 के विरूद्ध निदेशित है ।

2. निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस अपील के संबंध में अधिकरण के समक्ष लिखित आवेदन दिनांक 10.08.2021 दाखिल किया है जिसमें यह निवेदन किया गया है कि निर्धारिती ने कर विवाद से विश्वास योजना, 2020 के अधीन आवेदन किया है तथा विभाग द्वारा फार्म सं. 3 जारी किया गया है । अतः निर्धारिती वर्तमान अपील का अनुसरण करने का इच्छुक नही है । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त कारण से वर्तमान

अपील को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है । अतः हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

3. यद्यपि, निर्धारिती विधि के अनुसार, विनिहित अवधि के अंदर आदेश को वापिस बुलाने (recall) हेतु विविध आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि उसका इस योजना में भाग लेने हेतु किया गया आवेदन राजस्व द्वारा किसी कारण से अस्वीकृत किया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 07.09.2021 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(राजपाल यादव)	(मनीष बोरड)
उपाध्यक्ष	लेखा सदस्य

दिनांक : 07.09.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल